रा० प्रार्थना 412/2022

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

भंवराराम V/s तहसीलदार गिड़ा

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
20/12/23	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा रेकर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कसुम्बला भाटियान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिडा के खेत खसरा नम्बर 133, 212/11 रकबा 3.3994, 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 10 रकबा 88.00 बीघा व मौजा कसुम्बला हरचन्द पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान के खेत खसरा नम्बर 69 रकबा 90.08 बीघा की आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम भंवराराम पुत्र धर्माराम के स्थान पर भंवरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र धर्माराम अंकित कर दिया गया। अत : राजस्व रेकर्ड में भंवरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र धर्माराम के स्थान पर भंवराराम पुत्र धर्माराम किया जावें। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर प्रार्थी का नाम भंवराराम पुत्र धर्माराम सही होना पाया गया है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा कसुम्बला भाटियान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिडा के खेत खसरा नम्बर 133, 212/11 रकबा 3.3994, 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 10 रकबा 88.00 बीघा व मौजा कसुम्बला हरचन्द पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान के खेत खसरा नम्बर 69 रकबा 90.08 बीघा में भंवरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र धर्माराम के स्थान पर भंवराराम पुत्र धर्माराम अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	